

To Remove Agriculture Land from Commercial/Residential Category

113 Sh. PARDEEP CHAUDHRY (Kalka):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state -:

- a) whether the agriculture land of villages falling under the Municipal Corporation, Panchkula where it is less than 1 acre, has been declared as residential/commercial together with whether the property tax is being collected from the farmers while making their Property ID of said land; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to categorise the said land as agriculture land after removing it from commercial/residential category; if so, the detail thereof ?

DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER

- a) No, Sir.
- b) Property Tax is not leviable on the agriculture properties irrespective of the size of the land. The agriculture land is not categorised in any other category by the Municipal Corporation.

कृषि भूमि को वाणिज्य/आवासीय श्रेणी से हटाना

113 श्री प्रदीप चौधरी (कालका):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:—

- (क) क्या नगर निगम, पंचकूला के अंतर्गत आने वाले गांवों की कृषि भूमि जहां 1 एकड़ से कम है, को वाणिज्यिक के रूप में घोषित किया गया है तथा क्या उक्त भूमि के संपत्ति पहचान पत्र/कार्ड बनाते समय किसानों से संपत्ति कर एकत्रित किया जा रहा है; तथा
- (ख) क्या उक्त भूमि को वाणिज्यिक/आवासीय श्रेणी से हटाने से पश्चात कृषि भूमि के रूप में वर्गीकृत करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है?

डॉ० कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) कृषि संपत्तियों पर संपत्ति कर नहीं लगाया जाता है। नगर निगम द्वारा कृषि भूमि को किसी अन्य श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया गया है।